

[2023] 5 एस. सी. आर 490

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

ए.

प्रकाश कुमार जेना और ओआरएस।

बी.

ओडिशा और ओआरएस का राज्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 8836)

बी.

17 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

सेवा कानून-गृहरक्षक-वेतन का वितरण-मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जो 10 से 15 साल से अधिक समय से गृहरक्षक के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें गृह रक्षक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अपने वेतन के वितरण की मांग की गई थी।

सी.

होम गाडर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और

अन्य-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित 10.11.2016 के बजाय जनवरी, 2020 से गृह रक्षकों को प्रति दिन Rs.533 की दर से भुगतान प्रतिबंधित कर दिया-अपील पर कहा गया:राज्य को यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूंकि नियम 2013 के तहत नियुक्त संविदात्मक कांस्टेबलों को प्रवेश स्तर पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए 10 से 15 साल की सेवा प्रदान करने के बाद गृह रक्षक भी उसी निश्चित वेतन के हकदार होंगे और उपरोक्त रुख गृह रक्षक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बिल्कुल विपरीत होगा-उच्च न्यायालय ने डी. सी. ए. को प्रति दिन Rs.533 पर भुगतान करने का सही निर्देश दिया है- जहां तक डी. सी. ए. के लाभ को प्रति दिन Rs.533 पर सीमित करने का संबंध है, जनवरी, 2020 से उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जनवरी, 2020 से प्रति दिन Rs.533 के लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए गए थे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

समूह-सी और समूह-डी (संविदात्मक नियुक्ति) नियम 2013।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: **1.** उड़ीसा राज्य को अब ओडिशा के तहत नियुक्त संविदात्मक कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एच.

490 ए.

491

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य।

समूह-सी और समूह-डी (संविदात्मक नियुक्ति) नियम **2013** को प्रवेश स्तर पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जा रहा है, गृह रक्षक भी **10** से **15** साल की सेवा प्रदान करने के बाद एक ही निश्चित वेतन के हकदार होंगे। उपरोक्त स्थिति ग्रह रक्षक के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उसके बाद के स्पष्टीकरण आदेश के बिल्कुल विपरीत होगी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने डी. सी. ए. का भुगतान **Rs.533-** प्रति दिन करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। इसलिए, राज्य द्वारा इस हद तक की गई अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं। **[पैरा 6.3] [501-ई-जी]**

बी.

सी.

2. अब, जहां तक जनवरी, **2020** से प्रतिदिन डी. सी. ए. के लाभ को सीमित करने वाले उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश और विवादित फैसले के खिलाफ मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जनवरी, **2020** से प्रतिदिन के लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए गए हैं। अन्यथा भी, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय ने मार्च, **2015** के महीने में ग्रह रक्षक के मामले में फैसला सुनाया था

और एक और स्पष्टीकरणात्मक आदेश **04.05.2016** पर पारित किया गया था। इसके बाद भी महानिदेशक ने **10.11.2016** पर प्रति दिन **Rs.533** पर डी. सी. ए. का भुगतान करने की सिफारिश की जो गृह रक्षक के मामले में इस न्यायालय के फैसले और उसके बाद के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक **04.05.2016** के अनुरूप था। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जनवरी, **2020** से डी. सी. ए. के लाभ को प्रति दिन **Rs.533** पर सीमित करना उचित नहीं है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **17765** होम गार्ड काम कर रहे थे और जैसा कि कमांडर जनरल/महानिदेशक द्वारा अपनी अनुशंसा दिनांक **10.11.2016** में देखा गया था, सरकार पर प्रति दिन **Rs.293**-प्रति दिन **(Rs.533-Rs.240)** पर डी. सी. ए. के भुगतान के लिए **<ID3,78,775/-** का वित्तीय निहितार्थ होगा और वार्षिक वित्तीय निहितार्थ **Rs.189** करोड़ तक आ जाएगा यदि वे वर्ष में **365** दिन लगे रहते हैं और इतने बड़े वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए, अदालत निर्देश देती है कि

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

492 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

ए.

डी. सी. ए. के लाभ को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर करने की तारीख से प्रति दिन **Rs.533** पर प्रतिबंधित करें जो **01.06.2018** से होगा। [पैरा **71** **[501-जी-एच; 502-ए-डी]**

गृह रक्षक, गृह रक्षक कल्याण संघ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 6 एस. सी. सी.

बी.

247:[2015] 2 एस. सी. आर. 800-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2015] 2 एससीआर 800

संदर्भित किया गया है

पैरा **2**

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 8836।

सी.

2020 के डब्ल्यू. ए. सं. 319 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.08.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 का सी. ए. संख्या 8837 और 8838।

डी.

मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए सुमित गोयल, तनुज अग्रवाल, सुश्री श्रीपर्णा बसाक, सिबो शंकर मिश्रा, शोवन मिश्रा, सुश्री बिपाशा त्रिपाठी, शिखर श्रीवास्तव, सुश्री प्रेरणा सिंह, देबब्रत दास, निरंतर साहू, अपूर्वा शर्मा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

श्रीमती के. शारदा देवी, आर. विनय नंदन रेड्डी, अधिवक्ता।आवेदक के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

एफ.

1. 2020 के डब्ल्यू. ए. <आई. डी. 1 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, गृह रक्षक के रूप में काम करने वाले मूल रिट याचिकाकर्ताओं और उड़ीसा राज्य दोनों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

जी.

2. 2022 के एस. एल. पी. No.3906 से उत्पन्न सिविल अपील उड़ीसा राज्य और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है, जिसमें कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। (ग) 2020 का No.19556 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2020 के डब्ल्यू. ए. No.319 में पारित निर्णय और आदेश के संदर्भ में उक्त रिट याचिका का निपटारा किया है जो विषय ए है।

एच.

493

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनामओडिशा और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2022 की C.A.No.8836 की बाताइसलिए, 2020 के डब्ल्यू. ए. No.319 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2022 के सी. ए. No.8836 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है और 2020 के उक्त डब्ल्यू. ए. No.319 से उत्पन्न होने वाले तथ्यों का वर्णन किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं:- 2.1 कि मूल रिट याचिकाकर्ता सभी उड़ीसा राज्य के गृह विभाग के तहत 10 से 15 वर्षों से अधिक समय से गृह रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं/कर रहे थे। 10 से 15 साल की सेवा प्रदान करने के बाद, उन्होंने इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार राज्य को अपना वेतन वितरित करने का निर्देश देने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की।

बी.

गृह रक्षक, होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य का मामला (2015) 6 एस. सी. सी. 247 में दर्ज किया गया और

सी.

2015 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 699-700 में पारित दिनांक 04.05.2016 का बाद का आदेश/स्पष्टीकरण आदेश, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया। अन्य राज्यों के उनके समकक्षों को 7 वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की तारीख से उन्हें राहत देने की भी मांग की गई। गृह रक्षक (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें राज्य सरकार को गृह रक्षक (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार उड़ीसा राज्य में गृह रक्षकों के संबंध में महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा), उड़ीसा की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य को 7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आवेदन पर कांस्टेबलों के वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखने का भी निर्देश दिया। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इससे पहले उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक ने राज्य में पुलिस कर्मियों में सबसे कम रैंक वाले कांस्टेबलों के लिए उपलब्ध पारिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए प्रति दिन Rs.533 की न्यूनतम राशि पर भुगतान की सिफारिश की थी। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त सिफारिश को लागू करने के लिए राज्य सरकार को एक महीने का समय देते हुए निर्देश दिया कि उड़ीसा राज्य में गृह रक्षकों को अंतिम फिटमेंट के तहत निर्णय लंबित होने पर जनवरी, 2020 से कम से कम Rs.500 पर अस्थायी रूप से भुगतान किया जाए, बशर्ते महानिदेशक की सिफारिश के कार्यान्वयन पर उड़ीसा सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन हो।

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.2 2020 के W.P.No.8148 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उड़ीसा राज्य और अन्य ने 2020 के डब्ल्यू. ए. नंबर 319 को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, कुल मिलाकर उच्च न्यायालय की खंड पीठ

एच.

494

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, गृह रक्षकों को जनवरी, 2020 से 10.11.2016 के बजाय Rs.533-प्रति दिन की दर से भुगतान प्रतिबंधित कर दिया।

2.3 2020 के आई. डी. 1 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं-गृह रक्षकों के साथ-साथ उड़ीसा राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

बी.

3. उड़ीसा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य को राज्य में काम करने वाले गृहरक्षकों को शुल्क कॉल-अप भत्ते (इसके बाद "डी. सी. ए". के रूप में संदर्भित) के रूप में प्रति दिन Rs.533 का भुगतान करने का निर्देश देने में भौतिक रूप से गलती की है और यह ओडिशा समूह-सी और समूह-डी (संविदात्मक नियुक्ति) नियम, 2013 (इसके बाद नियम, 2013 के रूप में संदर्भित) के अनुसार भर्ती किए गए प्रवेश स्तर पर कांस्टेबलों को दी जा रही राशि से बहुत अधिक होगी।

सी.

डी.

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि पहले छठे वेतन आयोग की पात्रता के अनुसार, नियम 2013 के अनुसार भर्ती किए गए प्रवेश स्तर पर कांस्टेबलों को प्रवेश स्तर पर 7,200/- रुपये प्रति माह मिलते थे। इसलिए, उड़ीसा राज्य में गृह रक्षक दैनिक वेतन भत्ता/शुल्क कॉल-अप भत्ते के रूप में प्रति दिन Rs.240 प्राप्त करने के हकदार थे। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 7 वें वेतन आयोग के बाद, प्रवेश स्तर पर पुलिस कांस्टेबल के वेतन को संशोधित कर 9,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जबकि 7,200/- रुपये प्रति माह था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए और तदनुसार,

गृह रक्षकों को भुगतान भी संशोधित किया गया था Rs.300-प्रति दिन Rs.240-प्रति दिन के अलावा Rs.25-प्रति माह धुलाई भत्ते के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उड़ीसा राज्य ने गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया।

ई.

एफ.

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से गलती की है, क्योंकि इस तथ्य के अलावा कि महानिदेशक द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थीं, महानिदेशक ने नियम 2013 के तहत नियुक्त प्रवेश स्तर पर कांस्टेबलों के पारिश्रमिक को भी ध्यान में नहीं रखा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बजाय सिफारिशें तुलनात्मक दैनिक ए पर आधारित हैं।

जी.

एच.

495

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

देश के अन्य राज्यों द्वारा गृह रक्षकों को दिए जाने वाले भत्ते। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा राज्य के विशिष्ट तथ्यों को महानिदेशक द्वारा सिफारिशों में बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय केवल महानिदेशक की सिफारिशों पर भरोसा करके गलती करने में विफल रहा है।

बी.

3.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि राज्य में गृह रक्षकों को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दैनिक वेतन भत्ता/शुल्क कॉल-अप भत्ता का भुगतान किया जाता है, तो यह एक विसंगत स्थिति पैदा करेगा क्योंकि 7 वें वेतन आयोग के अनुसार प्रवेश स्तर पर कांस्टेबलों को केवल 9,000/- रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि गृह रक्षकों को प्रति दिन 9,000/- रुपये की दर से प्रति माह से अधिक मिलेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह मामले में इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ होगा।

सी.

गृह रक्षक (ऊपर)।

3.4 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा है कि वर्तमान में राज्य में 16894 होम गार्ड काम कर रहे हैं और इसलिए यदि राज्य में काम करने वाले होम गार्ड को डिवीजन बेंच द्वारा संशोधित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वेतन दिया जाता है, तो उस मामले में राज्य पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा।

डी.

ई.

3.5 उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, राज्य द्वारा पसंद की गई वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. राज्य द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, संबंधित गृह रक्षकों/मूल रिट याचिकाकर्ताओं/आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा समर्थित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया निर्देश राज्य को प्रति दिन Rs.533 पर डी. सी. ए. का भुगतान करने का निर्देश, गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले और उसके बाद के स्पष्टीकरण आदेश के अनुरूप है। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने हालांकि गृह रक्षकों की सेवाओं को नियमित करने या नियमित नियुक्तियों के लिए उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया, लेकिन सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे उन्हें डी. सी. ए. का भुगतान इस दर से करें कि कुल 30 दिन (एक महीना) राज्य के पुलिस कर्मियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन के बराबर हो। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद

एफ.

जी.

एच.

496

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

विवाद उत्पन्न हुआ कि इसमें डीए शामिल है या नहीं और इसलिए इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन के भुगतान का अर्थ मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता + धुलाई भत्ता होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि

गृहरक्षकों को दिया जाने वाला वेतन मासिक आधार पर नहीं होगा, बल्कि इसकी गणना गृहरक्षकों द्वारा किए गए प्रत्येक दिन के काम के संदर्भ में की जाएगी।

बी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों से उपरोक्त निर्णय के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद कई राज्यों ने ओडिशा राज्य को छोड़कर गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों और स्पष्टीकरण आदेश का पालन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है, महानिदेशक ने वर्ष 2016 में ही गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले और स्पष्टीकरणात्मक आदेश के आलोक में ओडिशा राज्य में गृह रक्षकों को प्रति दिन न्यूनतम Rs.533 का भुगतान करने की सिफारिश की थी। 4.3 संबंधित गृह रक्षकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध किया है:

सी.

डी.

(i) इस माननीय न्यायालय ने गृह रक्षक, होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारित दिनांक 11.03.2015 के फैसले में ऐसे डी. सी. ए. का भुगतान अधिमानतः तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया था; (ii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से उपरोक्त फैसले के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।

ई.

एफ.

(iii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने गृह रक्षकों को वेतन के भुगतान के संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के बारे में याचिकाकर्ता संख्या 1 की शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए ओडिशा सरकार के गृह विभाग के सचिव को दिनांकित पत्र लिखा;

जी.

(iv) महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा) ओडिशा, गृह ए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.03.2015 के फैसले के आलोक में।

एच.

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रक्षक, होम गार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य और 2015 की अवमानना याचिका (सी) No.699-700 में पारित दिनांक 04.05.2016 के फैसले ने ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग यानी प्रत्यर्थी संख्या 2 को पुलिस कर्मियों में सबसे कम रैंक वाले ओडिशा राज्य में कांस्टेबलों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए 10.11.2016 से ओडिशा राज्य में याचिकाकर्ताओं और अन्य गृह रक्षकों को प्रति दिन न्यूनतम Rs.533 का भुगतान करने की सिफारिश जारी की।

बी.

(v) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने उचित कार्रवाई के लिए गृह रक्षकों के वेतन के भुगतान के संबंध में 2015 की अवमानना याचिका (सी) No.699-700 में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.05.2016 के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में एक याचिका की प्राप्ति के संबंध में ओडिशा के मुख्यमंत्री को दिनांक 31.10.2017 पर एक पत्र जारी किया।

सी.

डी.

(vi) गृह मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव को गृह रक्षक, गृह रक्षक कल्याण संघ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और 2015 की अवमानना याचिका (सी) के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को लागू करने का निर्देश दिया, ताकि गृह रक्षकों के शुल्क भत्ते को नवीनतम 15.09.2018 तक बढ़ाया जा सके।

ई.

(vii) याचिकाकर्ताओं द्वारा 09.05.2018 पर रिट याचिका दायर की गई थी। 4.4 मूल रिट याचिकाकर्ताओं/आवेदकों/गृह रक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य की ओर से यह निवेदन कि नियम 2013 के अनुसार भर्ती किए गए प्रवेश स्तर पर राज्य में कांस्टेबलों को छठे वेतन आयोग के अनुसार 7,200/- रुपये प्रति माह और उसके बाद 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 9,000/- रुपये प्रति माह की दर से मिल रहे थे और इसलिए, गृह रक्षक प्रति माह 9,000/- रुपये के समान समेकित पारिश्रमिक के हकदार होंगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कहा गया प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 2013 के अनुसार, कांस्टेबलों की नियुक्ति शुरू में अनुबंध के आधार पर की जाती है और उसके बाद कुछ वर्षों की सेवा के बाद उन्हें स्थायी बना दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, नियमित नियुक्ति के लिए गृह रक्षकों की प्रार्थना और/या

एफ.

जी.

एच.

498

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

उनकी सेवाओं के नियमितीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सवाल यह है कि कांस्टेबलों को न्यूनतम वेतनमान/वेतन के रूप में क्या मिल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त सभी पहलुओं पर महानिदेशक द्वारा दिनांक 10.11.2016 की अपनी सिफारिश में विचार किया गया था।

बी.

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने ग्रह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उड़ीसा राज्य में काम करने वाले सभी गृहरक्षक इसी तरह के लाभों के हकदार हैं जो अन्य राज्यों में गृहरक्षकों को दिए जा रहे हैं। 4.6 अब जहां तक जनवरी, 2020 से डी. सी. ए. के लाभों को प्रति दिन Rs.533 पर प्रतिबंधित करने के उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं-होम गार्ड्स की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा केवल जनवरी, 2020 से उक्त लाभों को प्रतिबंधित करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।

सी.

डी.

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने वर्ष 2015 में ग्रह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में निर्णय और आदेश पारित किया। इसके बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि वे ग्रह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले और आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने गृह रक्षकों को वेतन के भुगतान के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के बारे में गृह रक्षकों की शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए ओडिशा सरकार के गृह विभाग के सचिव को दिनांकित पत्र लिखा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल उसके बाद भी

महानिदेशक ने अपनी अनुशंसा दिनांक 10.11.2016 के माध्यम से 10.11.2016 से प्रति दिन Rs.533 पर डी. सी. ए. का भुगतान करने की सिफारिश की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश को डी. सी. ए. का भुगतान Rs.533-प्रति दिन 10.11.2016 से करने का निर्देश देना उचित था।

ई.

एफ.

जी.

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने केवल जनवरी, 2020 से डी. सी. ए. के लाभ को प्रति दिन Rs.533 पर सीमित करने में भौतिक रूप से गलती की है।

एच.

499

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करके, यह प्रार्थना की जाती है कि राज्य द्वारा पसंद की गई अपीलों को खारिज कर दिया जाए और गृह रक्षकों द्वारा पसंद की गई अपीलों को अनुमति दी जाए।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

बी.

6. शुरुआत में, यह मुद्दा कि क्या राज्य में काम करने वाले गृह रक्षक न्यूनतम वेतन के अनुसार डी. सी. ए./शुल्क भत्ते के हकदार हैं, जिसके लिए राज्य के पुलिस कर्मी हकदार हैं, इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए एकीकृत नहीं है। सेवा के नियमितीकरण या नियमित नियुक्तियों के अनुदान के लिए राहत देने से इनकार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ-39 में निम्नानुसार निर्देश दिया:

सी.

“39. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण को सेवाओं के नियमितीकरण या नियमित नियुक्तियों के अनुदान से कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि होम गार्ड का उपयोग आपातकाल के दौरान और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है और उनके कर्तव्य के समय

उन्हें पुलिस कर्मियों की शक्ति के साथ सशक्त किया जाता है, हमारा विचार है कि राज्य सरकार को उन्हें ऐसी दरों पर शुल्क भत्ता देना चाहिए, जिसमें से कुल 30 दिन (एक महीना) राज्य के पुलिस कर्मियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन पर आता है। यह उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारें उपरोक्त अवलोकन के संदर्भ में जल्द से जल्द तीन महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेंगी।”

डी.

ई.

एफ.

6.1 इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा 2015 की अवमानना याचिका (सी) Nos.699-700 में एक और स्पष्टीकरण आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

जी.

“जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, नियमितीकरण की राहत को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन इस न्यायालय ने न्यूनतम वेतन के भुगतान का निर्देश दिया, जिसका अर्थ होगा मूल वेतन + श्रेणी वेतन + महँगाई भत्ता + धुलाई भत्ता।

एच.

500 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को दिया जाने वाला वेतन मासिक आधार पर नहीं होगा, बल्कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रत्येक दिन के काम के संदर्भ में गणना की जाएगी।”

6.2 इसके बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 16.09.2016 के संचार के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि वे गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुपालन और आगे के स्पष्टीकरण आदेश के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। कि इसके बाद उड़ीसा राज्य के गृहरक्षकों की ओर से राज्य में गृहरक्षकों को वेतन के भुगतान के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के बारे में शिकायत की गई थी और भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने ओडिशा सरकार के गृह विभाग के सचिव को संबोधित दिनांक 05.10.2016 संचार के माध्यम से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके बाद महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा) उड़ीसा ने ओडिशा राज्य में गृह रक्षकों, डी. सी. ए. को न्यूनतम वेतन के अनुसार प्रति दिन Rs.533 का भुगतान करने की सिफारिश की, जिसके लिए राज्य के पुलिस कर्मी हकदार थे। उपरोक्त के बावजूद, राज्य सरकार ने इस फैसले के अनुसार डी. सी. ए. का भुगतान नहीं किया।

बी.
सी.
डी.

ग्रह रक्षक (ऊपर) के मामले में न्यायालय और आगे के अनुसार

स्पष्टीकरण आदेश। हालांकि, राज्य में गृह रक्षकों को डी. सी. ए. का भुगतान 7,200/- रुपये प्रति माह/9,000/- रुपये प्रति माह किया जा रहा था, जैसा कि नियम 2013 के तहत नियुक्त कांस्टेबलों को दिया जा रहा था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि नियम 2013 के तहत, राज्य में कांस्टेबलों की नियुक्ति शुरू में अनुबंध के आधार पर की जाती है और उसके बाद, कुछ वर्षों की सेवा के बाद, उन्हें स्थायी बना दिया जाता है। हालांकि, उन्हें स्थायी बनाए जाने के बाद, उन्हें न्यूनतम वेतनमान में रखा जा रहा है और इसलिए, गृह रक्षक नियम 2013 के तहत अपनी संविदात्मक सेवाओं को प्रदान करने के बाद, राज्य के पुलिस कर्मी नियमित आधार/स्थायी आधार पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय न्यूनतम वेतन के हकदार हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए डी. सी. ए. के हकदार होंगे। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और आगे के स्पष्टीकरणात्मक आदेश का हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आदि जैसे कई राज्यों द्वारा भी पालन किया गया है जो निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट है:

ई.
एफ.
जी.
एच.

501

प्रकाश कुमार जेना और ओ. आर. एस. बनाम ओडिशा और ओआरएस का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

बी.

सी.

डी.

ई.

6.3 इसलिए, उड़ीसा राज्य को अब यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूंकि नियम 2013 के तहत नियुक्त संविदात्मक कांस्टेबलों को प्रवेश स्तर पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए 10 से 15 साल की सेवा प्रदान करने के बाद गृह रक्षक भी उसी निश्चित वेतन के हकदार होंगे। उपरोक्त स्थिति गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उसके बाद के स्पष्टीकरण आदेश के बिल्कुल विपरीत होगी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने डी. सी. ए. का भुगतान Rs.533-प्रति दिन करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। इसलिए, राज्य द्वारा इस हद तक की गई अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं। 7. अब, जहां तक जनवरी, 2020 से प्रति दिन डी. सी. ए. के लाभ को सीमित करने वाले उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश और विवादित फैसले के खिलाफ मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा प्रति दिन Rs.533 के लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए गए हैं।

एफ.

जी.

एच.

10.11.2016 के बजाय जनवरी, 2020। अन्यथा भी, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय ने मार्च, 2015 के महीने में गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया था और एक और स्पष्टीकरणात्मक आदेश 04.05.2016 पर पारित किया गया था। इसके बाद भी महानिदेशक ने 10.11.2016 पर प्रति दिन Rs.533 पर डी. सी. ए. का भुगतान करने की सिफारिश की जो गृह रक्षक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और उसके बाद के स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 04.05.2016 के अनुरूप था। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जनवरी, 2020 से डी. सी. ए. के लाभ को प्रति दिन Rs.533 पर सीमित करना उचित नहीं है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 17765 गृह रक्षक काम कर रहे थे और जैसा कि कमांडर जनरल/महानिदेशक द्वारा अपनी अनुशंसा दिनांक 6 में भी देखा गया था, सरकार पर प्रति दिन डी. सी. ए. के भुगतान के लिए प्रति दिन (आई. डी. 5)-प्रति दिन (आई. डी. 1-आई. डी 7) पर आई. डी. 4,78,775/- का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और यदि वे वर्ष में 365 दिन लगे रहते हैं और इतने बड़े वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए, हम डी. सी. ए. के लाभ को आई. डी. 1 पर सीमित करते हैं-विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर करने की तारीख से प्रति दिन जो आई. डी. 2 से होगा। 8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा राज्य द्वारा की गई अपीलों को निम्नानुसार संशोधन के साथ खारिज कर दिया जाता है और मूल रिट याचिकाकर्ताओं/गृह रक्षकों द्वारा की गई अपीलों को आंशिक रूप से निम्नानुसार अनुमति दी जाती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

9. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि डिवीजन बेंच द्वारा राज्य में होम गार्ड, डी. सी. ए. को प्रति दिन Rs.533 पर भुगतान करने के निर्देश से की जाती है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि Rs.533-प्रति दिन की दर से बकाया का भुगतान 01.06.2018 से किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान आज से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गृह रक्षक राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध आवधिक वृद्धि के हकदार होंगे और गृह रक्षकों को दिए जाने वाले डी. सी. ए. को समय-समय पर न्यूनतम वेतन को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए राज्य के पुलिस कर्मी समय-समय पर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हकदार हैं। वर्तमान अपीलों का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एफ.

जी.

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.